राजस्थान सरकार
कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग
कार्यालय मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, सी, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
ईमेल rajfab@rajasthan.gov.in टेलीफोन 0141-2709659

क्रमांक: FPS-HQ-RajFAB(6)/FB/2025-01064-7313475 दिनांक:

राजस्थान कारखाना नियम, 1951 के नियम 12 बी के तहत
दिशा निर्देश (guidelines and instructions)

राज्य सरकार द्वारा RAJASTHAN HEAT WAVE ACTION PLAN 2025 जारी किया गया है। राज्य में बढते तापमान के कारण लू-ताप के प्रभाव के न्यूनीकरण एवं बचाव के संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त उक्त एक्शन प्लान की पालना में राजस्थान कारखाना नियम, 1951 के नियम 12 बी के तहत राज्य में कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिये प्रत्येक कारखाना प्रबंधन को अत्यधिक गर्म मौसम के प्रतिकूल प्रभावों के प्रबंधन और शमन के लिए निम्न प्रभावी कदम/उपाय सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है-

1. ग्रीष्म ऋतु के दौरान कारखाने में श्रमिक के लिये छायादार/ठंडे स्थान (Shelter/Cooling area) की व यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें.।
2. गर्मी दुष्प्रभावों से बचाने के लिए अत्यधिक गर्मी के दौरान श्रमिकों को दोपहर के समय (12:00-4:00 PM) कार्य करने से बचने के लिए प्रोत्साहित किया जावे।
3. कार्यस्थलों पर श्रमिकों के लिये समुचित स्थानों पर ठण्डे पानी पीने (Cooling drinking water) की पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करें।
4. ग्रीष्म ऋतु के दौरान बचाव हेतु श्रमिकों के लिए आपातकालीन आइस-पैक (Ice Pack) और गर्मी की रोकथाम सामग्री का प्रावधान करें।
5. श्रमिकों को गर्मी के दुःष्प्रभावों से बचाने के लिये स्वास्थ्य एवं भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय जारी दिशा-निर्देशों व स्वास्थ्य सलाह (Health Advisory) की पालना सुनिश्चित करें।
6. जहां तक संभव हो, विश्राम क्षेत्र कार्यस्थल के निकट स्थित होने चाहिए एवं सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षित सक्षम व्यक्ति की देख रेख में आपातकालीन दवाईया जैसे इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट (ORS), IV fluids, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स इत्यादि कार्यस्थल पर उपलब्ध होने चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Harish Kumar Gupta
Designation : Chief Inspector
Date: 2025.05.18 14:18:32 IST
Reason: Approved

7. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्यस्थल पर पर्याप्त वेंटिलेशन हो।
8. श्रमिकों को अत्यधिक गर्मी और आर्द्रता से होने वाले खतरों और उपचारात्मक उपायों से अवगत कराया जाना चाहिए।
9. कार्यस्थल पर गर्मी से संबंधित (heal illness) बीमार श्रमिक की रिपोर्ट निकटतम सार्वजनिक चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं/केन्द्रों में करें।

(हरीश कुमार गुप्ता)
मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
राजस्थान, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Harish Kumar Gupta
Designation : Chief Inspector
Date: 2025.05.18 14:18:32 IST
Reason: Approved